



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042026-271602
CG-DL-E-07042026-271602

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 6, 2026/चैत्र 16, 1948

No. 240]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 2026/CHAITRA 16, 1948

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(संसद् अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2026

सं. 1-सीए (7)/240/2026.—भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद् ने अपनी अधिसूचना सं. 28-आरसी(4)/13/85, तारीख 18 सितंबर, 1985 के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1964 के विनियम 136(1) के अधीन 16 सितंबर, 1985 से कोटा में मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की स्थापना की थी।

अब, पूर्वोक्त अधिसूचना को आंशिक रूप से उपांतरित करते हुए, संस्थान की परिषद् यह अधिसूचित करती है कि झालावाड़, आईसीएआई की सीआईआरसी की कोटा शाखा की अधिकारिता से पृथक् हो जाएगा।

आईसीएआई की सीआईआरसी की कोटा शाखा की अधिकारिता से झालावाड़ (राजस्थान) को पृथक् करने की प्रभावी तारीख 6 फरवरी, 2026 होगी।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./07/2026-27]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th February, 2026

No. 1-CA (7)/240/2026.—Whereas the Council of the Institute of Chartered Accountants of India vide notification no. 28-RC(4)/13/85 dated 18th September, 1985 w.e.f 16th September 1985 had set up a Branch of Central India Regional Council at Kota under Regulation 136(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964.

Now in partial modification of the aforesaid notification, the Council of the Institute hereby notify the detachment of Jhalawar from the Jurisdiction of Kota Branch of CIRC of ICAI.

The effective date of detachment of Jhalawar (Rajasthan) from the Jurisdiction of Kota Branch of CIRC of ICAI will be February 6th, 2026

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./07/2026-27]